


10.8.21

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी व पार्थी स्वयं उपस्थित। पार्थी ने प्राप्पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पत्रावली के संबंध में शरीरामा ही चुका है तथा पार्थी इस प्राप्पत्र से डरते डरते वापस नहीं चाहता है। पार्थी स्वीकार की आकर पार्थी का प्राप्पत्र 251A जारी विशेष खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर डारिबल इफ्तार हो। निर्णय सुनाया गया।

शरीराम





सहायक कलक्टर  
एवं पदेन उपहाउड अधिकारी  
डेगान्न (नागौर)